हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/6/22 पत्रावली पेश हुई। रुक रुक कर तीन बार आवाज दिलाई गई न तो वकील उपस्थित है और नही पक्षकारान ऐसी स्थिति मे न्यायालय इस प्रकरण को आगे जेरकार रखना उचित नही समझता है। प्रकरण भी काफी पुराना है। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 15-6-22 को सरे इजलास सुनाया गया।	
उप खण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज०)	